

अभिलेख उपस्थापित किया। अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा के पत्रांक-204/भू0सु0 दिनांक-09.09.2020 से प्राप्त है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा ने मौजा-लक्ष्मी, खाता नं0-105 दाग नं0-1231,1380 रकवा-00-10-00 धुर, किस्म-नदी कझिया एवं गोचर, जमीन विदेशी राम, अंचल-गोड्डा के साथ कायम जमाबन्दी को रद्द करने के लिए अनुशंसा किया है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा ने अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि मौजा-लक्ष्मी, खाता नं0-105 दाग नं0-1231,1380 रकवा-00-10-00 धुर, किस्म-नदी कझिया एवं गोचर के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज है जो गैरमजरूआ खाता की आम भूमि है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा -36 में वर्णित है कि गाँव की सीमाओं पर नदी, नाला, शमसान, कब्रिस्तान, रास्ता एवं पूजा स्थल आदि भूमि की बन्दोबस्ती नहीं की जानी है एवं धारा-38 में वर्णित है कि कोई भूमि जो ग्राम चारागाह या गोचर अभिलेखित हो की बन्दोबस्ती किसी व्यक्ति के साथ नहीं की जानी है। साथ ही झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-6144/रा0 दिनांक-21.1.2017 की कंडिका 5 की उपकंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की गैरमजरूआ भूमि यथा गोचर वन भूमि शमसान, हडगड़ी, कब्रिस्तान, सरना स्थल, मसना स्थल, नदी, नाला, पहाड़, आम रास्ता आदि का नियमितीकरण/बन्दोबस्ती नहीं की जाएगी।

अतः भूमि सुधार उपसमाहर्ता गोड्डा के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा-36 एवं 38 तथा झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-6144/रा0 दिनांक-21.12.2017 एवं पत्रांक-06/भूमि नियमितीकरण 89/2020, 1704/रा0 दिनांक-15.07.2020 के तहत मौजा-लक्ष्मी, खाता नं0-105 दाग नं0-1231,1380 रकवा-00-10-00 धुर, किस्म-नदी कझिया एवं गोचर, जमीन विदेशी राम, साकिन- लक्ष्मी, अंचल-गोड्डा के साथ कायम अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी को रद्द किया जाता है।

अभिलेख अंचल अधिकारी गोड्डा को भेजे एवं इसकी सूचना भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा को दें।

लेखापित एवं संशोधित

Rituraj
21/09/2020
अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

Rituraj
21/09/2020
अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।